सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 613 राँची, बुधवार, 8 भाद्र, 1938 (श०)

30 अगस्त, 2017 (ई०)

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

अधिसूचना

20 मार्च, 2016

विषय:- राज्य के सभी (24) जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम कार्यालय (झारखण्ड उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, राँची के कार्यालय सहित) हेतु 50 के.वी.ए. क्षमता वाले 24 ध्वनिरहित जेनरेटर का क्रय एवं इस हेतु रूपये 1,44,00,000/- (रूपये एक करोड़ चौवालीस लाख) के व्यय की स्वीकृति ।

संख्या- 06/उप.फो. (जेनरेटर)-02/2017 खा.आ.–1210-- झारखण्ड राज्य के सभी जिलों में उपभोक्ताओं को न्याय दिलाने हेतु जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम का गठन हो चुका है । साथ ही राज्य स्तर पर झारखण्ड उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का गठन हो चुका है जिसका कार्यालय जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम, राँची के भवन में अवस्थित है ।

2. आम जनता को यदि किसी भी वस्तु या सेवा के संबंध में शिकायत होती है तो उनके द्वारा न्याय प्राप्त करने हेतु उपभोक्ता फोरम में वाद दर्ज किया जाता है । इससे आम जनता में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ती है । इन अधिकारों के प्रति जनता में जागरूकता बढ़ाने हेतु

प्रचार-प्रसार भी किया जाता है । फोरमों में बिजली अबाध प्रतिपूर्ति होना अतिआवश्यक है। जेनरेटर नहीं रहने के कारण फोरम के बहुविध कार्यों में कठिनाई हो रही है ।

3. उल्लेखनीय है कि W.P.(PIL) No. 5458/2014 सुनील उराँव बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निदेश में कहा गया है कि सभी उपभोक्ता फोरमों में 50 के॰वी॰ए॰ क्षमता वाला ध्वनिरहित जेनरेटर अतिशीघ्र उपलब्ध कराया जाय।

4. उक्त के आलोक में राज्य के सभी (24) जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम कार्यालय (झारखण्ड उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, राँची के कार्यालय सहित) हेतु 50 के॰वी॰ए॰ क्षमता वाले 24 ध्वनिरहित जेनरेटर का क्रय कर अधिष्ठापित करने का निर्णय लिया गया है ।

5. 50 के॰वी॰ए॰ क्षमता वाले 24 ध्वनिरहित जेनरेटर का क्रय करने एवं अधिष्ठापन सहित कुल व्यय रूपये 1,44,00,000 (रूपये एक करोड़ चैवालीस लाख) मात्र राशि की आवश्यकता हो सकती है ।

6. 50 के॰वी॰ए॰ क्षमता वाले 24 ध्वनिरहित जेनरेटर का क्रय करने हेतु रूपये 1,44,00,000 (रूपये एक करोड़ चैवालीस लाख) मात्र की राशि मुख्य शीर्ष-3456-सिविल पूर्ति-796-जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना-35- कौशल विकास योजना-03-प्रशासनिक व्यय-21-प्रचार/ प्रसार/ सेमिनार (18P345600796350321) के अन्तर्गत उपभोक्ता संरक्षण को सुदृढ़ करने हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगी ।

7. उपरोक्त से संबंधित प्रस्ताव एवं संलेख ज्ञापांक 1036, दिनांक 7 मार्च, 2017 पर योजना प्राधिकृत समिति की दिनांक 9 मार्च, 2017 को सम्पन्न बैठक में स्वीकृति प्राप्त है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

विनय कुमार चौबे,
सरकार के सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 613--200